(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या. 11/2019-एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 29 जून, 2019

सा.का.नि........ (अ.)- एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, उन सभी वस्तुओं पर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के प्रस्थान क्षेत्र में स्थापित खुदरा बिक्री दुकानों, आप्रवासन केन्द्रों के बाहर, द्वारा बाहर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आपूर्त किए जाते हों, उस संपूर्ण एकीकृत कर से छूट प्रदान करती है जो कि उन पर एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा 5 के अंतर्गत लगाया जाता हो ।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, अभिव्यक्ति “बाहर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक” से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है जो कि भारत के सामान्य निवासी नहीं है, जो भारत में वैध और अस्थायी रूप से न बसने के लिए छ: महीने से अनधिक अवधि तक के लिए ठहरने के लिए भारत आते हैं ।

2. यह अधिसूचना 01 जुलाई, 2019 से लागू होगी ।

(फाइल संख्या 354/90/2019-टीआरयू)

(रूचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार